न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 269 **दायर दिनांक : 09.10.2023**

1. सुमन रानी पत्नी रामचन्द्र जाति खाती निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

–वादी

बनाम

1. भाषेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति खाती निवासी निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. निम्मा देवी पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
3. राजेन्द्र } पिसरान सोहनलाल जाति जाट निवासी दड़बी
4. भजनलाल } तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
5. कमला देवी पुत्री सोहनलाल पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
6. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

<u>वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थित :
1. श्री अजय कुमार अरोड़ा, अभिभाषक वादीया
2. श्री हरिसिंह भाटी, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ता 5
3. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 05.01.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील सूरतगढ़ रोही किशनपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2062 के खाता संख्या 1 में वादीया, प्रतिवादी संख्या–1 के नाम व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पति/पिता सोहनलाल पुत्र बीरूराम के नाम से खसरा संख्या 287 में संयुक्त खाता में 2.530 हैक्टर बारानी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा में वादीया की 0.506 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.506 हैक्टर व सोहनलाल के नाम से 1.518 हैक्टर भूमि है। सोहनलाल की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 मृतक सोहनलाल के वारिस है। मौका पर वादीया का अलग कब्जा है। इसी भूमि से लिंक रोड़ गुजरती है। जिसका रिकार्ड में अमलदरामद नही है। वादीया ने अपने हिस्सा की भूमि का सुधारा है। उक्त भूमि संयुक्त खाता में होने के कारण वादीया को काश्त करने, रकम राजस्व जमा करवाने में हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा कब्जा काश्त को लेकर भी आपस में विवाद

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उत्पन्न होता रहता है। वादीया उक्त भूमि का खातेदार कृषक होने के कारण अपने हिस्सा की भूमि का घरू बंटवारा अनुसार खाता विभाजन करवाने की हकदार है। वादीया ने प्रतिवादीगण से संयुक्त खाता की भूमि का बंटवारा करवाने हेतु निवेदन किया तो सहकाश्तकार पहले तो टालमटोल करते रहे, लेकिन अन्त में इन्कार हो गये। इसलिए वादीया ने जैरवाद भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से अभिभाषक श्री हरिसिंह भाटी ने जवाब–दावा प्रस्तुत कर वादीया के कब्जा काश्त में दक्षिणी भाग का अलग खाता कर तरमीम करने का निवेदन किया। वाद पत्र में तनकीयात कायम कर साक्ष्य पक्षकारान लिये गये।

वादीया ने उपस्थित होकर बयान शपथ–पत्र पेश किया जिस पर अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा जिरह नही की गई जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी और नहीं कराये जाने पर साक्ष्य वादी बन्द किये गये। प्रतिवादी संख्या 1–3–4 ने उपस्थित होकर बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिस पर अभिभाषक वादीया द्वारा जिरह नही की गई जिसे शामिल मिसल किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादाधीन संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि तहसील सूरतगढ़ रोही किशनपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2062 के खाता संख्या 1 में वादीया, प्रतिवादी संख्या–1 के नाम व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पति/पिता सोहनलाल पुत्र बीरूराम के नाम से खसरा संख्या 287 में संयुक्त खाता में 2.530 हैक्टर बारानी भूमि दर्ज रिकार्ड है, का मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन कर खाता अलग कायम किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने जवाब–दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादीया का खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया। स्टेट की ओर से पैरोकार राज ने राज्य के हितों को मध्य नजर रखते हुए वाद का निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

पक्षकारान की बहस श्रवण करने के पश्चात् बहस बिन्दुओं पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वादीया ने मुताबिक घरू बंटवारा के आधार पर खाता विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा है। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से कोई जवाबदावा में कोई ऐतराज नही किया है। विभाजन के नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपने हिस्सानुसार सहकाश्तकार से अलग खाता कायम करवाने का अधिकार है जिसके अनुसार वादीया वादाधीन भूमि का अपने हिस्सा की भूमि का सहकाश्तकार खातेदार होने के कारण खाता विभाजन का दावा दायर कर, खाता विभाजन करवाने की हकदार है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के हितों को

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। किसी भी सहकाश्तकार को कोई हानि न हो, इसलिए जैरवाद भूमि का वादीया व प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 के कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वादीया, प्रतिवादी संख्या–1 एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के पिता सोहनलाल के नाम की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि तहसील सूरतगढ़ रोही किशनपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2062 के खाता संख्या 1 खसरा संख्या 287 में संयुक्त खाता में 2.530 हैक्टर बारानी भूमि का विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ से मंगवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका पर यदि उक्त खाता में से लिंक रोड़ निकली है तो लिंक रोड़ में आने वाली कुल भूमि का विवरण भी अंकित कर भिजवायें। इसी अनुरूप प्राथमिक डिक्री जारी हो। आदेश की पालना में तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम अलग से पत्र जारी हो। विभाजन प्रस्ताव के इन्तजार में अन्तिम आदेश व डिक्री हेतु पत्रावली पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::प्राथमिक परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. सुमन रानी पत्नी रामचन्द्र जाति खाती निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

–वादी

बनाम

1. भाषेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति खाती निवासी निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. निम्मा देवी पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
3. राजेन्द्र } पिसरान सोहनलाल जाति जाट निवासी दड़बी
4. भजनलाल } तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
5. कमला देवी पुत्री सोहनलाल पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
6. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बाद पत्र धारा–53 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 269 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीया श्री अजय कुमारा अरोड़ा व वकील प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 श्री हरिसिंह भाटी तथा पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वादीया, प्रतिवादी संख्या–1 एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के पिता सोहनलाल के नाम की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि तहसील सूरतगढ़ रोही किशनपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2062 के खाता संख्या 1 खसरा संख्या 287 में संयुक्त खाता में 2.530 हैक्टर बारानी भूमि का विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ से मंगवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका पर यदि उक्त खाता में से लिंक रोड़ निकली है तो लिंक रोड़ में आने वाली कुल भूमि का विवरण भी अंकित कर भिजवायें।

नोज.....ग.....मुबलिग.....ग.....बाबत.....ग.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....ग..... फस्दों की पालना.....ग.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 04.01.2024 को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)